

Riyasat IAS Mentorship

Riyasat IAS
Mentorship

Secure Prelims Program 2026

English - हिंदी माध्यम

AN INITIATIVE UNDER **RIYASAT IAS MENTORSHIP**

*Shaping Potential
Into Performance*



Riyasat Ali Sir

IAS Mentor Since 2011

INTENSIVE & INTEGRATED

Prelims GS & CSAT PROGRAM

to Crack CSE 2026

पर्यावरण और पारिस्थितिकी डेमो नोट्स -हिंदी मीडियम

More Information: 8090528260, 9319612575, 9266989092

जैव विविधता

जैव विविधता/जैविक विविधता: जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD), 1992 जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित करता है - सभी स्रोतों से जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जिसमें स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारितंत्र शामिल हैं। इसमें प्रजाति के भीतर की विविधता, प्रजातियों के बीच की विविधता और पारितंत्रों की विविधता शामिल होती है।




जैव विविधता के तीन स्तर:

श्रेणी	विवरण
आनुवंशिक विविधता	किसी प्रजाति के भीतर जीन की विविधता।
प्रजातीय विविधता	किसी निवास स्थान या क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की विविधता
पारितंत्र विविधता	किसी दिए गए क्षेत्र में पारितंत्रों की विविधता।

जैव विविधता का मापन:

अल्फा, बीटा और गामा विविधता विभिन्न स्थानिक स्तरों पर जैव विविधता के अलग-अलग पहलुओं का आकलन करने के माप हैं।



प्रकार की विविधता	
अल्फा विविधता	<ul style="list-style-type: none"> किसी विशेष निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र के भीतर की विविधता को दर्शाती है। यह एक पारितंत्र के भीतर प्रजातियों की समृद्धि और समानता को दर्शाती है। शैनन-वीनर सूचकांक और सिम्पसन का सूचकांक।
बीटा विविधता	<ul style="list-style-type: none"> किसी क्षेत्र में विभिन्न निवास स्थानों या स्थलों के बीच प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन या बदलाव को मापती है। यह विभिन्न स्थानों के बीच असमानता की डिग्री को दर्शाती है। जैकर्ड का सूचकांक और सॉरेन्सन का सूचकांक।
गामा विविधता	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय या परिदृश्य स्तर पर समग्र विविधता को दर्शाती है। यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कई निवास स्थानों या स्थानों में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या को शामिल करती है।


विशेष प्रजातियों के लिए विभिन्न शब्द:	
प्रजाति का प्रकार	विवरण
फ़्लैगशिप प्रजाति	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी प्रजाति जिसे किसी आवास, मुद्दे या अभियान के राजदूत या प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि यह कोई कीस्टोन या सूचक प्रजाति हो। उदाहरण: भारतीय बाघ, विशाल पांडा, अफ्रीकी हाथी, एशियाई हाथी।
कीस्टोन प्रजाति	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी प्रजाति जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पारितंत्र की संरचना या कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। उदाहरण: शेर, बाघ, मगरमच्छ, हाथी।
सूचक प्रजाति	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी प्रजातियाँ जो किसी पारितंत्र के स्वास्थ्य की सूचक होती हैं। उदाहरण: लाइकेन (वायु गुणवत्ता), क्रेफ़िश (मीठे पानी की गुणवत्ता), मूँगा (समुद्री स्थिति), मेंढक (वैश्विक ऊष्मीकरण)।

पारितंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द:

- **बायोपाइरेसी:** प्राकृतिक संसाधनों के बारे में स्थानीय/आदिवासी ज्ञान का बिना अनुमति उपयोग, लाभ के लिए, बिना उन आदिवासी लोगों को क्षतिपूर्ति या मान्यता दिए जिन्होंने मूल रूप से यह ज्ञान विकसित या संरक्षित किया था।
- **बायोप्रॉस्पेक्टिंग:** जैव संसाधनों जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीवों से मूल्यवान उत्पादों की व्यवस्थित खोज, जिसका उद्देश्य उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित करना और समाज को लाभ पहुँचाना है।
- **बायोमाइनिंग:** चट्टानी अयस्कों या खदान के अपशिष्ट से आर्थिक मूल्य के धातुओं को निकालने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग। इसे धातु प्रदूषण वाले स्थलों की सफाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
- **बायोएसे:** ऐसा परीक्षण जिसमें जीवों का उपयोग करके भौतिक या रासायनिक कारकों या अन्य पारिस्थितिक विक्षोभों की उपस्थिति या प्रभाव का पता लगाया जाता है। यह सामान्यतः प्रदूषण अध्ययनों में उपयोग किया जाता है।

जैव विविधता संरक्षण:

- **एक्स-सीटू संरक्षण:** प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण।
 - उदाहरण: चिड़ियाघर, बीज बैंक, बॉटनिकल गार्डन।
- **इन-सीटू संरक्षण:** प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण।
- **उदाहरण:** राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन।



भारत में जैव विविधता:


- भारत 34 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से चार का घर है: हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व, और निकोबार द्वीप समूह।
- प्रजातियों की समृद्धि के संदर्भ में, भारत की रैंकिंग - स्तनधारी में 7वाँ, पक्षियों में 9वाँ, और सरीसृपों में 5वाँ।
- विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (WCMC), जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतर्गत आता है, ने भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 17 महाविविधता वाले देश की पहचान की है।

भारत के बायोम्स:

- **बायोम:** पौधों और जानवरों के प्राथमिक समूहों को संदर्भित करता है जो विशिष्ट जलवायु पैटर्न वाले क्षेत्रों में रहते हैं।
- यह इस बात को समाहित करता है कि जीवित जीव, वनस्पति और मिट्टी एक विशेष वातावरण में एक-दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं।
- भारत में पाँच प्रमुख बायोम पाए जाते हैं:
 1. उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन (Tropical Humid Forests)
 2. उष्णकटिबंधीय शुष्क या पर्णपाती वन (मानसून वनों सहित) (Tropical Dry or Deciduous Forests)
 3. गर्म रेगिस्तान और अर्ध-रेगिस्तान (Warm Deserts and Semi-Deserts)
 4. शंकुधारी वन (Coniferous Forests)
 5. अल्पाइन घास के मैदान (Alpine Meadows)

भारत का जीवभूगोल:

जीवभूगोल पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण से संबंधित है। भारत में 10 जीवभौगोलिक क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों की योजना बनाने के आधार के रूप में उपयोग किया गया।



Riyasat IAS Mentorship

जीवभौगोलिक क्षेत्र	मुख्य विशेषताएँ
ट्रांस हिमालयन ज़ोन	<ul style="list-style-type: none">उच्च-ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल, तिब्बती पठार का विस्तार, जिसमें लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) और लाहौल-स्पीति (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं। भारत के भू-भाग का 5.7% भाग आच्छादित करता है।
हिमालयन ज़ोन	<ul style="list-style-type: none">कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2,400 किमी तक फैला हुआ। इसमें विविध जैविक प्रांत और बायोम शामिल हैं। भारत के भू-भाग का 7.2% भाग आच्छादित करता है।क्षेत्र: उत्तर-पश्चिम हिमालय, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय
मरुस्थलीय ज़ोन	<ul style="list-style-type: none">राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, गुजरात के कुछ हिस्से शामिल। अरावली पहाड़ियाँ से कच्छ का रण तक फैला हुआ। भारत के भू-भाग का 6.6% भाग आच्छादित करता है।उदा.- थार मरुस्थल, कच्छ मरुस्थल
अर्ध-शुष्क ज़ोन	<ul style="list-style-type: none">मरुस्थल और पश्चिमी घाट के वनों के बीच संक्रमण क्षेत्र, मुख्यतः गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में। भू-भाग का 15.6% भाग आच्छादित करता है।
पश्चिमी घाट	<ul style="list-style-type: none">ताप्ती नदी के दक्षिण में पश्चिमी तट के साथ विविध पर्वत श्रृंखलाएँ और मैदान।उदा.- मालाबार मैदान, पश्चिमी घाट
दक्कन का पठार	<ul style="list-style-type: none">मध्य भारत की उच्चभूमि, छोटा नागपुर, पूर्वी उच्चभूमि, दक्कन दक्षिण।
गंगा के मैदानी क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none">गंगा नदी प्रणाली द्वारा परिभाषित, दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल शामिल। भू-भाग का 11% भाग आच्छादित करता है।
उत्तर-पूर्व ज़ोन	<ul style="list-style-type: none">उत्तर-पूर्वी भारत के मैदानी और गैर-हिमालयी पर्वत श्रेणियाँ, जिनमें विविध वनस्पति पाई जाती है।उदा.- ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर-पूर्वी पर्वत

द्वीप	<ul style="list-style-type: none"> • बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप, जिनमें बायोम की विविधता है। भू-भाग का 0.03% भाग आच्छादित करता है।
तट	<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिम और पूर्वी तटों पर लंबा समुद्रतट, जिसमें लक्षद्वीप द्वीप शामिल हैं। आच्छादन प्रतिशत नगण्य है।

जैव विविधता हॉट स्पॉट्स:


- जैव विविधता हॉट स्पॉट्स वे जीवभौगोलिक क्षेत्र (Biogeographic regions) हैं जो उच्च प्रजातीय समृद्धि (Species Richness), महत्वपूर्ण स्थानिकता (Endemism) तथा प्रायः गंभीर आवास हानि (Habitat Loss) से पहचाने जाते हैं।
- इस शब्द को ब्रिटिश जीवविज्ञानी नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) ने परिभाषित किया था और बाद में इसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल (CI), 1996 द्वारा अपनाया गया।

हॉटस्पॉट वर्गीकरण के मानदंड (CI):

1. प्रजातीय समृद्धि (Species Richness): क्षेत्र में कम से कम 1,500 वाहिकीय पौधों (Vascular Plants) की प्रजातियाँ स्थानिक (Endemic) होनी चाहिए, जो विश्व की कुल संख्या का 0.5% से अधिक हो।
2. आवास हानि (Habitat Loss): क्षेत्र ने अपने मूल आवास का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो।

वैश्विक स्थिति:

- कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है।
- ये पृथ्वी की केवल 2.5% स्थल सतह को घेरे हुए हैं।
- फिर भी ये विश्व की 50% से अधिक स्थानिक पौध प्रजातियों और लगभग 43% स्थानिक पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों तथा उभयचरों का समर्थन करते हैं।



भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट्स:

1. हिमालय (Himalaya): संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र को आच्छादित करता है तथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है।
2. इंडो-बर्मा (Indo-Burma): इसमें उत्तर-पूर्व भारत, अंडमान द्वीप, तथा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी चीन शामिल हैं।
3. सुंडालैंड (Sundaland): इसमें निकोबार द्वीप (भारत), तथा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस सम्मिलित हैं।
4. पश्चिमी घाट और श्रीलंका (Western Ghats and Sri Lanka): यहाँ समृद्ध वनस्पति और जीव-जंतु विविधता पाई जाती है, साथ ही उच्च स्तर की स्थानिकता (Endemism) भी विद्यमान है।

होप स्पॉट्स (Hope Spots):

- होप स्पॉट वे समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas) हैं जिन्हें उनके वन्यजीव और महत्वपूर्ण जलमग्न आवास (Critical Underwater Habitats) के कारण विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। यह होप स्पॉट नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो मिशन ब्लू (Mission Blue) और IUCN की संयुक्त पहल है।
- भारतीय होप स्पॉट्स: लक्षद्वीप द्वीपसमूह (Lakshadweep Islands), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (Andaman & Nicobar Islands)

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species - IAS):

आक्रामक प्रजातियाँ वे गैर-स्थानिक (Non-native) प्रजातियाँ हैं, जो जब किसी नए पर्यावरण में प्रवेश करती हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हैं। ये प्रायः स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें विस्थापित कर देती हैं और पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न करती हैं।

भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण:

- लैंटाना कैमारा (Lantana Camara): पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली आक्रामक झाड़ी।
- जल कुम्भी (Water Hyacinth - Eichhornia crassipes): एक जलीय पौधा जो जल निकायों को अवरुद्ध कर देता है।
- प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा (Prosopis Juliflora / विलायती कीकर): शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण होता है।
- नीडल बुश (Needle Bush): दक्षिण अमेरिका से उत्पन्न, यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घने झुरमुट बना लेती है।



Riyasat IAS Mentorship




- ब्लैक वॉटल (Black Wattle): ऑस्ट्रेलिया से वनीकरण (Afforestation) के लिए लाया गया पौधा, जो अब पश्चिमी घाट में व्यापक रूप से पाया जाता है।
- गोट वीड (Goat Weed): उद्यानों और खेतों में पाई जाने वाली एक समस्याजनक खरपतवार, जो तेजी से पारिस्थितिकी तंत्र पर कब्ज़ा कर लेती है।

भारत का वन्यजीवन		
Region	Flora	Fauna
हिमालय की तराई (Himalayan Foothills)	वनस्पति: मानसूनी सदाबहार, अर्ध-सदाबहार वन; साल (Sal), विशाल बाँस, रेशमी कपास के वृक्ष, घास के मैदान।	जीव-जंतु: हाथी, सांभर, चीतल, हॉग हिरण, बाघ, तेंदुआ, महान भारतीय एक-सींग वाला गैंडा, गंगेटिक घड़ियाल।
पश्चिमी हिमालय (Western Himalayas)	वनस्पति: सदाबहार, रोडोडेंड्रॉन, पर्वतीय बाँस, बर्च, अल्पाइन चरागाह।	जीव-जंतु: तिब्बती जंगली गधा, जंगली बकरियाँ (आइबेक्स), नीली भेड़, हिरण (चिरु), स्नो लेपर्ड, काले/भूरे भालू, सुनहरा गरुड़, स्नो कॉक, स्नो पार्ट्रिज।
पूर्वी हिमालय	आर्कटिक से उष्णकटिबंधीय वनों तक, ओक, मैग्नोलिया, लॉरेल, पाइन, रोडोडेंड्रॉन, बांस	लाल पांडा, हॉग बैजर, एशियाई हाथी, टाकिन, जंगली जल भैंस, धुंधला तेंदुआ, हिम तेंदुआ, महान एक-सींग वाला गैंडा
भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र (Peninsula India)	वनस्पति: साल, टीक, पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति; शुष्क क्षेत्रों में काँटेदार झाड़ियाँ।	जीव-जंतु: हाथी, हिरण (चीतल, हॉग हिरण, बारासिंगा), हिरण (ब्लैकबक, नीलगिरी), बाघ, सिंह, धारीदार भेड़िया, गौड़, सियार।
भारतीय रेगिस्तान (Indian Desert)	वनस्पति: काँटेदार पेड़ (बबूल, बेर, खेजड़ी), कैक्टस, मांसल पौधे।	जीव-जंतु: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैकबक, चिंकारा, बंगाल लोमड़ी, भेड़िया, एशियाई जंगली गधा, रेगिस्तानी बिल्ली, लाल लोमड़ी, सरीसृप (गेको, साँप, कछुए)।

Riyasat IAS Mentorship

उष्णकटिबंधीय वर्षावन (Tropical Rain Forests)	वनस्पति: घास के मैदान, घने जंगल वाले घाटियाँ, सागौन, शीशम, सोंठ, काई, फ़र्न, एपिफाइट्स।	जीव-जंतु: जंगली हाथी, गौर, गोल्डन लेंगूर, कैप्ड लेंगूर, नीलगिरी लेंगूर, लायन-टेल्ड मैकाक, स्लेंडर लॉरिस, विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरियाँ, सिवेट।
मैंग्रोव (Mangrove)	वनस्पति: मैंग्रोव प्रजातियाँ।	जीव-जंतु: चीतल, सूअर, मॉनिटर छिपकली, रॉयल बंगाल टाइगर।

Species	Details
Pygmy Hog (Critically Endangered)	<ul style="list-style-type: none"> आवास: तराई घास के मैदान। विश्व का सबसे छोटा जंगली सूअर। भारतीय गेंडा, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन जैसी अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आवास सूचक। केवल मानस वन्यजीव अभयारण्य (असम) में पाया जाता है। 
सफ़ेद-पेट वाला बगुला (White-Bellied Heron) (गंभीर संकटग्रस्त - Critically Endangered)	<ul style="list-style-type: none"> विशेषता: दूसरा सबसे बड़ा बगुला प्रजाति। आवास: रेत/कंकड़ वाले नदियाँ; पाया जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार में। 
गुलाबी-मस्तक वाला बत्तख (Pink-Headed Duck) (गंभीर संकटग्रस्त - Critically Endangered)	<ul style="list-style-type: none"> आवास: स्थिर जल वाले तालाब, दलदल। स्थिति: जंगली में व्यापक रूप से लुप्त माना जाता है; भारत में अंतिम पुष्ट दर्शन 1949 में। वितरण: पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार।

<p>Critically Endangered)</p>	
<p>साइबेरियाई क्रेन (Siberian Crane) (गंभीर संकटग्रस्त - Critically Endangered)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: दलदली क्षेत्र (Wetlands)। • वितरण: केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। अंतिम दर्शन 2002 में। • प्रजनन: रूस के आर्कटिक टुंड्रा में करता है और सर्दियों में गर्म क्षेत्रों में प्रवास करता है। <div data-bbox="979 573 1461 1010"> <p>SIBERIAN CRANE</p> <p>IUCN STATUS Critically Endangered</p> <p>LOCATION Keoladeo National Park</p>  </div>
<p>चीनी पेंगोलिन (Chinese Pangolin) (गंभीर संकटग्रस्त - Critically Endangered)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: उष्णकटिबंधीय वन, पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तर भारत में पाया जाता है। रात्रिकालीन। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ CITES: अनुबंध 1 - सभी पेंगोलिन प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार निषिद्ध। ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: चीनी और भारतीय पेंगोलिन दोनों अनुसूची 1 में सूचीबद्ध - सर्वोच्च संरक्षण स्तर। <div data-bbox="986 1167 1465 1391">  </div>
<p>भारतीय गज़ेल (चिंकारा) (कम चिंता - Least Concern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल, मैदान; पश्चिमी भारत और थार मरुस्थल में पाया जाता है। • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 • वितरण: भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। • संरक्षित क्षेत्र: डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। • विशेषता: एशिया की सबसे छोटी मृग प्रजाति।



घने बादलों वाला
तेंदुआ (Clouded
Leopard)
(असुरक्षित -
Vulnerable)

- **आवास:** वन क्षेत्र; नेपाल से दक्षिण-पूर्व एशिया तक हिमालय की तराई में पाया जाता है।

भारत में संरक्षित क्षेत्र:

- क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क - त्रिपुरा
- डम्पा टाइगर रिज़र्व - मिज़ोरम (उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए प्रसिद्ध)
- मानस नेशनल पार्क - असम
- पक्के टाइगर रिज़र्व - अरुणाचल प्रदेश
- कांचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व - सिक्किम

राज्य पशु: मेघालय



संरक्षण स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable)
- **CITES:** परिशिष्ट-I
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** वर्ष 2018 में जोड़ा गया

Riyasat IAS Mentorship

भारतीय गौर
(Indian Gaur)
(असुरक्षित -
Vulnerable)

- **आवास:** अविच्छिन्न वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है; दक्षिण एशिया भर में इसकी उपस्थिति है।
- **विशेषता:** विश्व की सबसे बड़ी जीवित जंगली गाय (बोवाइन) प्रजाति।
- **राज्य पशु:** गोवा और बिहार।
- **जनसंख्या:** विश्व के कुल गौर जनसंख्या का लगभग 85% भारत में पाया जाता है।
- **नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व:** विश्व के सबसे बड़े गौर समूहों में से एक का घर।



संरक्षण स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable)
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- **CITES:** परिशिष्ट-I








गोल्डन लंगूर
(Golden Langur)
(संकटग्रस्त -
Endangered)

- **आवास:** सदाबहार वनों में पाया जाता है; भूटान और पूर्वोत्तर भारत (असम) में इसकी उपस्थिति है।
- **स्थानिकता:** केवल भारत-भूटान सीमा क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति।
- **आहार:** शाकाहारी।
- **चक्राशिला वन्यजीव अभयारण्य:** भारत का पहला अभयारण्य जहाँ गोल्डन लंगूर मुख्य संरक्षण प्रजाति है।



	<p>संरक्षण स्थिति:</p> <ul style="list-style-type: none">• IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered)• CITES: परिशिष्ट-I• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I 
<p>हिमालयन आइबेक्स (Himalayan Ibex) (कम चिंता योग्य - Least Concern)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: पर्वतीय घासभूमियों में पाया जाता है; जम्मू-कश्मीर और सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में इसकी उपस्थिति है।• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I में सूचीबद्ध।• खाल (Coat): इसकी मोटी, ऊनी खाल कठोर सर्दियों में ऊष्मा प्रदान करती है; यह खाल प्रारंभिक ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती है।• आवास प्रकार: उच्च हिमालयी, खड़ी और दुर्गम अल्पाइन क्षेत्रों (3,000 से 5,800 मीटर ऊँचाई) में पाया जाता है। 
<p>हूलाक गिबन (Hoolock Gibbon)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है; मुख्य रूप से पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और असम में।• प्रमुख संरक्षित क्षेत्र: होलोंगापार गिबन वन्यजीव अभयारण्य (असम)।

Riyasat IAS Mentorship

<p>(संकटग्रस्त - Endangered)</p>	<ul style="list-style-type: none">• विशेषता: यह एक सच्चा कपि (True Ape) है – अर्थात इसकी पूंछ नहीं होती।• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I में सूचीबद्ध। 
<p>दुआ (Leopard) (सन्निकट संकटग्रस्त - Near Threatened)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: वर्षावनों से रेगिस्तानों तक पाया जाता है; पूरे भारत और दक्षिण-पश्चिम एशिया में उपस्थिति।• सबसे बड़ी जनसंख्या: मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > कर्नाटक > तमिलनाडु।• जनसंख्या प्रवृत्ति: मध्य भारत और पूर्वी घाटों में वृद्धि देखी गई, जबकि शिवालिक पहाड़ और गंगा मैदानों में गिरावट।• विशेष तथ्य: काला पैंथर (Black Panther) तेंदुए का मेलानिस्टिक रूप है, कोई अलग प्रजाति नहीं।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Vulnerable)○ CITES: परिशिष्ट I○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 
<p>लाल पांडा (Red Panda) (संकटग्रस्त - Vulnerable)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: शीतोष्ण वनों में बांस के बीच पाया जाता है; नेपाल, भारत (मेघालय), भूटान में उपस्थिति।• विशेषता: यह अपनी अद्वितीय परिवार Ailuridae का एकमात्र जीवित सदस्य है और विशाल पांडा से निकट संबंध नहीं रखता।• संकेतक प्रजाति: पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है।

	<ul style="list-style-type: none"> • राज्य पशु: सिक्किम। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered) ○ CITES: परिशिष्ट I ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I 	
<p>मलाबार सिवेट (Malabar Civet) (गंभीर रूप से संकटग्रस्त - Critically Endangered)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: पश्चिमी घाट; दुनिया के सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक, रात्रिचर। • स्थानिक प्रजाति: भारत के पश्चिमी घाटों में ही पाई जाती है। • संरक्षित क्षेत्र: साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, केरल। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I ○ CITES: परिशिष्ट III 	
<p>सुमात्राई गैंडा (Sumatran Rhinoceros) (गंभीर रूप से संकटग्रस्त - Critically Endangered)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: भारत में विलुप्त; जावा और वियतनाम में पाया जाता है। • विशेषताएँ: सभी गैंडे की प्रजातियों में सबसे छोटा और सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त। • शिखर: एशिया का एकमात्र गैंडा जिसमें दो सींग होते हैं। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) ○ CITES: परिशिष्ट I ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: भारत में नहीं पाया जाता 	

Riyasat IAS Mentorship



<p>कश्मीर हरिण (हंगुल) (Critically Endangered - गंभीर रूप से संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: कश्मीर घाटी के जंगल; आवास नष्ट होने और शिकार के कारण संकटग्रस्त।• राज्य पशु: जम्मू और कश्मीर।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)○ कानूनी स्थिति: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 - अनुसूची I○ संरक्षित क्षेत्र: डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, श्रीनगर।○ परियोजना हंगुल: 1970 के दशक में IUCN और WWF के समर्थन से प्रारंभ। 
<p>डुर्गांग (Vulnerable - संकटग्रस्त)</p>	 <ul style="list-style-type: none">• आवास: तटीय जल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है।• सामान्य नाम: समुद्री गाय।• विशेषताएँ: एक लज्जालु, शाकाहारी समुद्री स्तनपायी।• “समुद्र के माली”: डुर्गांग का चराई करना समुद्री घास के मैदानों की सेहत और जैव विविधता बनाए रखने में मदद करता है, अत्यधिक वृद्धि को रोकता है।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: संकटग्रस्त (Vulnerable)○ CITES: परिशिष्ट I○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
<p>गंगा नदी का डॉल्फिन</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: सिंध-गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में पाया जाता है; 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित।

Riyasat IAS Mentorship



<p>(Endangered - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• सामान्य नाम: "सुसु," इसकी साँस लेने की आवाज़ के कारण।• विशेषताएँ: डॉल्फिन कार्यात्मक रूप से अंधी होती है, क्योंकि इसकी आँखों में लेंस नहीं होता। यह शिकार और मार्गदर्शन के लिए अत्याधुनिक बायोसोनार (इकोलोकेशन) प्रणाली का उपयोग करती है।• प्रजाति: पूरी तरह ताजे पानी की प्रजाति।• राज्यवार वितरण: उत्तर प्रदेश > बिहार > पश्चिम बंगाल• रक्षित क्षेत्र: बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भारत का एकमात्र समर्पित डॉल्फिन अभयारण्य।• अनुसंधान केंद्र: राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC), पटना।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: संकटग्रस्त (Endangered)○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I○ CITES: परिशिष्ट I○ CMS: परिशिष्ट I और II
<p>सिंधु नदी का डॉल्फिन (Endangered - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: सिंधु नदी, ब्यास और सतलज की सहायक नदियों में, भारत और पाकिस्तान में।• राज्य जलीय पशु: पंजाब• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: संकटग्रस्त (Endangered)○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I○ CITES: परिशिष्ट I
<p>बंगाल फ्लोरिकन (Critically Endangered - गंभीर संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: घासभूमि में पाया जाता है; असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित। अपने प्रजनन नृत्य के लिए प्रसिद्ध।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered)



	<ul style="list-style-type: none">○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I○ CITES: परिशिष्ट I○ CMS: परिशिष्ट I 
<p>लायन-टेल्ड मैकाक (Endangered - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">● आवास: पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है; कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में सीमित।● संरक्षित क्षेत्र: साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (केरल), पेरियार राष्ट्रीय उद्यान (केरल), अनामलाई टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु), कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक)● संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: संकटग्रस्त (Endangered)○ CITES: परिशिष्ट I○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I 
<p>निलगिरी टार (Endangered - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">● आवास: ऊँचे पहाड़, दक्षिण भारत (तमिलनाडु, केरल) में पाया जाता है।● आनुवंशिक सीमा: पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाया जाता है।● राज्य पशु: तमिलनाडु● संरक्षित क्षेत्र: एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (केरल) - सबसे बड़ी जीवित जनसंख्या का घर। 

	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना निलगिरी टार: तमिलनाडु द्वारा 2022-2027 के लिए पांच साल की पहल। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN: संकटग्रस्त (Endangered) ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
<p>हिमालयन मस्क हिरन (Endangered - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: अल्पाइन घासभूमि, सिक्किम, नेपाल, चीन में पाया जाता है। • संरक्षित क्षेत्र: अस्कोट मस्क हिरन अभयारण्य (उत्तराखंड), केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य (उत्तराखंड), गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड) • आवासीय खतरा: अल्पाइन घासभूमियों में "कीड़ा जड़ी" जैसे औषधीय कवक एकत्र करने से इस प्रजाति के आवास को नुकसान पहुँचता है। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN: संकटग्रस्त (Endangered) ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I ○ CITES: परिशिष्ट I 
<p>महाबल एक सींग वाला गैंडा (Vulnerable - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: तराई की घासभूमि, गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन, नेपाल और भारत में पाया जाता है। • विशेषता: एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा। • वितरण: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम), पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (असम), मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम), ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (असम), डुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश) • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Vulnerable) ○ CITES: परिशिष्ट I ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I 

Riyasat IAS Mentorship

<p>बारहसिंगा (Vulnerable - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: साल के जंगल, घासभूमि; असम, सुंदरबन, और Indo-Gangetic मैदान में पाया जाता है।• राज्य पशु: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।• संरक्षित क्षेत्र: काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (असम), कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश), डुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश)।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Vulnerable)○ CITES: परिशिष्ट I○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I	
<p>बबती गैज़ल (Near Threatened - समीप संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: उच्च ऊँचाई वाले मैदान; लद्दाख, सिक्किम, तिब्बत में पाया जाता है।• अन्य नाम: गोआ; तिब्बती पठार की विशेष जाति की मृग।• उच्च ऊँचाई पर जीवन: समुद्र तल से 4,000 से 5,500 मीटर तक।• संरक्षण स्थिति:<ul style="list-style-type: none">○ IUCN: समीप संकटग्रस्त (Near Threatened)○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I	
<p>बाघ (Endangered - संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none">• आवास: एशिया के उष्णकटिबंधीय वन; भारत, बांग्लादेश, नेपाल में पाया जाता है।• विश्व जनसंख्या में भारत का हिस्सा: लगभग 75% वन्य बाघ भारत में।• परियोजनाएँ:<ul style="list-style-type: none">○ परियोजना टाइगर और परियोजना हाथी योजना: 2023-24 में इन्हें एकीकृत किया गया।	

○ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): 2005 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित।

● **राज्यवार वितरण:** मध्य प्रदेश > कर्नाटक > उत्तराखंड > महाराष्ट्र।

● उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ।

● आंध्र प्रदेश में नगरजुंसागर-श्रीशैलम बाघ अभयारण्य सबसे बड़ा बाघ रिज़र्व।

● **संरक्षण स्थिति:**


- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- IUCN: संकटग्रस्त (Endangered)
- CITES: परिशिष्ट I

The Tiger Count

Tiger numbers in India:



States with highest tiger numbers



हिम तेंदुआ
(Vulnerable - संकटग्रस्त)


● **आवास:** ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र; जम्मू एवं कश्मीर, हिमालय में पाया जाता है।

● **विशेषता:** अपनी छिपकली जैसी प्रवृत्ति और परिवेश के अनुरूप रंग के कारण "पर्वतों का भूत" कहा जाता है।



● **संरक्षण स्थिति:**

- IUCN: संकटग्रस्त (Vulnerable)
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- CITES: परिशिष्ट I
- CMS: परिशिष्ट I

Protection Status of Snow Leopard



Among 22 species covered under **Species Recovery Programme**

<p>घड़ियाल (Critically Endangered - अत्यंत संकटग्रस्त)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: मीठे पानी की नदियाँ; चम्बल नदी, गिर्वा नदी, सोन नदी में पाया जाता है। • विशेषता: "घड़ियाल राज्य" - भारत की जंगली घड़ियाल आबादी का 80% से अधिक मध्य प्रदेश में निवास करता है • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN: अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I ○ CITES: परिशिष्ट I 	
<p>ऑलिव रिडली कछुआ (Vulnerable - संवेदनशील)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और भारतीय महासागर के गर्म पानी में पाया जाता है। • Arribada: ऑलिव रिडली अपनी अनोखी सामूहिक घोंसला बनाना की घटना के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे अर्रीबाडा (स्पैनिश में "आगमन") कहा जाता है। • मुख्य सामूहिक घोंसला स्थल: ओडिशा तट, गहिरमाथा मैरीन सेंकचुअरी, रुषिकुल्या नदी मुहाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। • संरक्षण स्थिति: <ul style="list-style-type: none"> ○ IUCN: संवेदनशील (Vulnerable) ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I ○ CITES: परिशिष्ट I 	
<p>नीलगाय (कम चिंता योग्य - Least Concern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • आवास: शुष्क क्षेत्र, झाड़ीदार भूमि; भारत और नेपाल में व्यापक रूप से पाया जाता है। • विशेषताएँ: एशिया की सबसे बड़ी हिरण जाति; शाकाहारी। • संरक्षण स्थिति: 	

- IUCN: कम चिंता योग्य (Least Concern)
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची III, जो शिकार को रोकता है लेकिन अनुसूची I जानवरों की तुलना में कम सुरक्षा प्रदान करता है।



पक्षियों का प्रवास (Bird's Migration):

- प्रवास से तात्पर्य है पक्षियों का नियमित, चक्रीय और मौसमी रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर गति करना।
- कारण (Reasons): प्रजनन (Breeding) के लिए अनुकूल आवास की तलाश, आहार (Feeding) के लिए

Winter Birds

- Siberian Cranes
- Greater Flamingo
- Common Teal
- Yellow Wagtail
- White Wagtail
- Northern Shoveler
- Rosy Pelican
- Wood Sandpiper
- Eurasian Pegeon

Summer Birds

- Asian Koel
- Eurasian Golden Oriole
- Comb Duck
- Blue Cheeked Bee Eater
- Blue-Tailed Bee-Eater
- Black Crowned Night Heron
- Cuckoos

उपयुक्त स्थान पर जाना, मौसमी परिस्थितियाँ (Weather Conditions) जैसे ठंड या गर्मी से बचाव

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act - WPA) (1972):

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा, शिकार नियंत्रण, और वन्यजीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने हेतु लागू किया गया।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना:

- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) और वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) वन्यजीवों के आवास और संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं।
- संरक्षण आरक्षित क्षेत्र (Conservation Reserves) और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र (Community Reserves) को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के आस-पास या ऐसे क्षेत्रों में नामित किया जा सकता है जहाँ स्थानीय समुदायों के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण प्रयास किए जाते हैं।

अधिनियम की अनुसूचियाँ (Schedules of the Act):

- अधिनियम में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वन्यजीव प्रजातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनके आधार पर शिकार और व्यापार पर रोक या नियंत्रण लगाया जाता है।
- शिकार पर प्रतिबंध (Prohibition on Hunting): अधिनियम अनुसूची I, II, III और IV में सूचीबद्ध पशुओं का शिकार निषिद्ध करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर (जैसे मानव जीवन की सुरक्षा, रोग प्रबंधन)।

Schedule I	Animal species with highest level of protection. Example: Blackbuck, Sloth Bear, Cheetah, Swamp Deer etc.
Schedule II	Animals with lesser levels of protection. Example: Nilgai, Indian Flying fox, Andaman Bulbul etc.
Schedule III	Protected Plant species. Example: Neel Kurinji, Pitcher plant, Tree turmeric etc.
Schedule IV	Specimens listed in Appendices under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Example: River Dolphin, Spider Monkeys, etc.

- उल्लंघनों के लिए दंड (Penalties for Violations): अधिनियम अपराधों के लिए कड़ी सज़ाएँ तय करता है, जैसे 3-7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना।

पुनरावृत्ति करने वालों (Repeat offenders) के लिए दंड और बढ़ाया जाता है।


- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau - WCCB): अधिनियम के तहत संगठित वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने और संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार की निगरानी के लिए स्थापित किया गया।
- अधिकारी और प्राधिकरण (Authorities and Officers): अधिनियम केंद्रीय और राज्य सरकारों को वन्यजीव प्राधिकरण नियुक्त करने और वन्यजीव संरक्षण हेतु सलाहकार बोर्ड बनाने का अधिकार देता है।
- प्रत्येक राज्य में मुख्य वन्यजीव संरक्षक (Chief Wildlife Warden - CWW) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN):

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) एक वैश्विक संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए समर्पित है।
- स्थापना: 1948
- भूमिका: प्राकृतिक जगत की स्थिति और इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों का वैश्विक प्राधिकरण।

Riyasat IAS Mentorship

- मुख्यालय: स्विट्जरलैंड
- रेड डेटा बुक (Red Data Book): IUCN की स्पीशीज़ सर्वाइवल कमिशन (Species Survival Commission) द्वारा 1966 में पहली बार जारी की गई, जो सूचीबद्ध प्रजातियों के संग्रह, संरक्षण और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका है।



CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species)

परिचय:

- UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) के अंतर्गत एक अंतर-सरकारी संधि।
- सामान्यतः इसे **बॉन कन्वेंशन** कहा जाता है।
- हस्ताक्षर: 1979, लागू: 1983
- मार्च 2022 तक **133** पक्षकार। भारत 1983 से पक्षकार है।

उद्देश्य:

- स्थलीय, समुद्री और पंखधारी प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण उनके पूरे प्रवास मार्ग में।
- वैश्विक संरक्षण उपायों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना।
- इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते और गैर-बाध्यकारी MoUs शामिल हैं।

CMS अनुसूचियाँ:

- अनुसूची I: 'संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियाँ' सूचीबद्ध।
- अनुसूची II: 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियाँ' सूचीबद्ध।

भारत और CMS:

- CMS के साथ गैर-बाध्यकारी MoUs पर हस्ताक्षर किए गए:
 - साइबेरियन क्रेन्स, 1998

Riyasat IAS Mentorship

- समुद्री कछुए, 2007
- डर्गॉग, 2008
- शिकारी पक्षी, 2016
- भारत, जो विश्व के भू-भाग का 2.4% है, वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% सहारा देता है।
- भारत प्रवासी प्रजातियों जैसे अमूर फाल्कन्स, बार-हेडेड गीज़, ब्लैक-नेकड क्रेन्स, समुद्री कछुए, डर्गॉग और हंपबैक व्हेल्स को आवास प्रदान करता है।



Riyasat IAS
Mentorship